विद्यालय शिक्षा समिति / प्रबंध समिति के सदस्यों का
एक दिवसीय उन्मुखीकरण मार्गदर्शिका–सह–मॉड्यूल

भूमिका : मॉड्यूल की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता

बिहार शिक्षा परियोजना का मूल उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में बदलाव लाना है, ताकि शिक्षा से वंचित समाज का वर्ग शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके।

विगत वर्षों में परियोजना के प्रयास के फलस्वरूप स्थानीय समुदाय के द्वारा ग्राम शिक्षा समिति की शक्ल में गोलबंद होकर विद्यालय प्रबंधन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई है । ग्राम शिक्षा समितियों के सकारात्मक प्रयासों का प्रतिफल ''बिहार राज्य विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2000'' के रूप में हमारे सामने आया। आज बिहार के सभी प्राथमिक/ प्रारम्भिक एवं बुनियादी विद्यालयों के लिए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन किया जा चुका है।

अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार समिति की मासिक बैठक एवं पंचायती राज संस्थान के साथ सकारात्मक संबंध हेतु विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय, सशक्त एवं संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। डी.पी.ई.पी. एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा समितियों की विद्यालय विकास में वृहत्तर भूमिका एवं उसके निर्वहन हेतु विभिन्न तरह के खातों का संचालन, निधि हस्तांतरण एवं व्ययन के मद्देनजर समिति के सदस्यों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि विद्यालय शिक्षा समिति, जो एक वैधानिक संस्था है, का अंकेक्षण भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके।

फलतः संबंधित कारणों को ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति/ प्रबंध समिति के सदस्यों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण मार्गदर्शिका–सह–मॉड्यूल के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई जिससे विद्यालय शिक्षा समिति/ प्रबंध समिति के सदस्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक समझ विकसित हो तथा इसके लिए वे अपने स्तर से पहल कर सकें ।

उद्देश्य

- विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय, संवेदनशील एवं सशक्त बनाना।
- समिति के सदस्यों में सामूहिक सहभागिता की भावना विकसित करना।
- शैक्षिक एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु समिति की क्षमता विकसित करना।
- प्रारंभिक शिक्षा में दाता–पाता के संबंधों की जगह लोक भागीदारी की स्थापना करना।

- विद्यालय शिक्षा समिति के कार्य–कलापों में अभिवंचित वर्ग एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं साझेदारी सुनिश्चित करना।
- विद्यालय शिक्षा समिति को विद्यालय शैक्षिक कार्ययोजना के सूत्रण, कार्यान्वयन एवं स्वमूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करना।
- विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक प्रबंधन के प्रति समुदाय में जागरूकता एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।

उन्मुखीकरण की प्रकृति

- एक दिवसीय
- गैर आवासीय

इकाई : विद्यालय शिक्षा समिति/ प्रबंध समिति।

प्रतिभागी

1. विद्यालय शिक्षा समिति के सभी सदस्य
2. विशेष आमंत्रित सदस्य (पोषक क्षेत्र के)
   - आंगनबाड़ी सेविका
   - अपना/अंगना विद्यालय की माता समिति की अध्यक्षा/सचिव
   - लोक शिक्षण केन्द्र की अनुदेशिका (दीदी)
   - स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि
   - सभी वार्ड सदस्य
   - अन्य शिक्षा प्रेमी

उन्मुखीकरण–स्थल

- विद्यालय परिसर/ पंचायत भवन/ सामुदायिक भवन

उन्मुखीकरण अवधिः

- एक दिन (10.30 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक)

उन्मुखीकरण सामग्री

1. विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2000।
2. पंचायती राज संस्थानों के शैक्षिक कार्य, दायित्व एवं अधिकार।
3. विद्यालय विकास, मरम्मती एवं रख–रखाव, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान की मार्गदर्शिका एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र।
4. अभियान गीत।
5. अपील।
6. वार्षिक कैलेन्डर।
7. '' क्या हमारे विद्यालय में ऐसा होता है .....?''
8. मासिक बैठक हेतु विचारणीय बिन्दु।
9. एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रपत्र।

पूर्व तैयारी

- संकुलवार प्रशिक्षकों का चयन
- प्रशिक्षकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण
- प्रखंडवार, संकुलवार एवं विद्यालयवार उन्मुखीकरण हेतु तिथि का निर्धारण
- जिला स्तरीय कार्यालय से संबंधित प्रखंड संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्रों को उन्मुखीकरण संबंधी पत्र प्रेषण
- वार्षिक कैलेन्डर , क्या हमारे विद्यालय में ऐसा होता है ...? , मासिक बैठक हेतु विचारणीय बिन्दु एवं एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रपत्र की मुद्रित प्रतियाँ / छायाप्रतियाँ / चक्रचालित प्रतियाँ

उन्मुखीकरण संचालन योजना

1.	पंजीयन	10.30–10.45 पूर्वाह्न
2.	अभियान गीत	10.45–10.50 पूर्वाह्न
3.	संबोधन / प्रशिक्षण की जानकारी	10.50–11.00 पूर्वाह्न
4.	आपसी परिचय	11.00–11.15 पूर्वाह्न
5.	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् – एक परिचय	11.15–11.20 पूर्वाह्न

6. विद्यालय से संबंधित वर्तमान भौतिक एवं शैक्षणिक परिदृश्य/स्थिति पर परिचर्चा 11.20–11.50 पूर्वाह्न
7. सर्व शिक्षा अभियान – परिचय 11.50–12.00 पूर्वाह्न
8. नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि पर चर्चा 12.00–12.30 अपराह्न
9. छात्र एवं शिक्षक की नियमित उपस्थिति पर चर्चा 12.30–12.40 अपराह्न
10. विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा – 12.40–2.40 अपराह्न
    - बालिका शिक्षा/अभिवंचित समूह के बच्चों की शिक्षा
    - विशेष आवश्यकता वाले (निःशक्त) बच्चों की शिक्षा
    - बालपंजी संधारण
    - गृहवार सर्वेक्षण
    - शिक्षा गारंटी योजना
    - पंचायत शिक्षा मित्र
    - बालवर्ग
    - निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण
    - निःशुल्क वार्षिक मूल्यांकन
    - विभिन्न प्रकार के अनुदान का सदुपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
        - विद्यालय विकास अनुदान
        - विद्यालय रख–रखाव अनुदान
        - शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान
        - शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान
    - अंकेक्षण
    - मध्याह्न भोजन
    - असैनिक कार्य

11. विद्यालय शिक्षा समिति की मासिक बैठक/त्रैमासिक आमसभा 2.40–3.00 अपराह्न

12. विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का संधारण 3.00–3.30 अपराह्न

- सूचना पंजी
- कार्यवाही पंजी का संधारण
- भंडार पंजी (Stock Register)
- रोकड़ बही/पंजी (Cash Book)
- व्यय अभिश्रव (Voucher) की गार्ड फाईल
- अंकेक्षण पंजी/अंकेक्षण आपत्ति निदान पंजी
- मध्याह्न भोजन उठाव/ वितरण पंजी
- असैनिक कार्य संबंधी पंजी
- पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण पुस्तिका
- विद्यालय पुस्तकालय पंजी
- गृहवार सर्वेक्षण के आंकड़ों का संधारण पंजी
- आगंतुक हस्ताक्षर पंजी

13. विद्यालयीय शिक्षा योजना निर्माण :– 3.30–3.55 अपराह्न

- वित्तीय
- गैर वित्तीय

14. संकल्प एवं अभियान गीत 3.55–4.00 अपराह्न

वित्तीय प्रबंधन

- प्रशिक्षक का मानदेय (प्रति विद्यालय शिक्षा समिति) – रु0 100/–
- विविध (मुद्रित/छायाप्रति/चक्रचालित सामग्री, प्रखंड/ जिला स्तरीय फीड बैक–सह–चिंतन बैठक/दस्तावेजीकरण/ बैनर आदि समेकित रूप से जिला स्तर/प्रखंड संसाधन केन्द्र स्तर पर व्यय करने हेतु) रु0 50/–

प्रशिक्षणोपरान्त

- प्रखंडवार एक दिवसीय उन्मुखीकरण समाप्ति के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रखंड मुख्यालय में सभी प्रशिक्षकों का फीड बैक–सह–चिंतन कार्यशाला का आयोजन ।
- प्रशिक्षकों द्वारा एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रपत्र का प्रखंडवार समेकन/ विश्लेषण एवं अनुभवों का आदान–प्रदान।
- विद्यालयवार हस्तक्षेप/ अनुसमर्थन का सूचीकरण।
- प्रखंडवार प्रपत्रों के आधार पर जिला स्तरीय समेकन एवं विश्लेषण।

सावधानियाँ

- उन्मुखीकरण कार्यक्रम विद्यालय कार्य दिवस में हो।
- उन्मुखीकरण कार्यक्रम से पठन–पाठन प्रभावित न हो।
- विद्यालय भवन/पंचायत भवन/सामुदायिक भवन आदि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में जहाँ सभी लोग सहजतापूर्वक आ सकें, ऐसी जगह पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हो।
- समुदाय/विशेषकर महिलाओं एवं अभिवंचित वर्ग के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग।
- तीव्र विचारों के प्रति आदर भाव हो न कि प्रतिरोध।
- सबको बोलने के लिए प्रोत्साहित करना एवं समान अवसर उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षक होते हुए भी स्वयं को प्रतिभागी समझें तथा प्रतिभागी के साथ श्रेणी/कतार में बैठें।
- आदेश एवं निर्देश शब्द का प्रयोग न किया जाये।
- पूर्व तैयारी में वर्णित प्रपत्रों की मुद्रित प्रति/छायाप्रति/चक्रचालित प्रति उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में सादे कागज पर प्रपत्र विकसित कर कार्यक्रम संपादित करना।

क्या हमारे विद्यालय में ऐसा होता है ....?

- क्या हमारे विद्यालय में पोषक क्षेत्र के 6–14 आयुवर्ग वाले सभी बच्चे पढ़ने आते हैं?
- क्या हमारे विद्यालय में जो बच्चे नहीं आ पाते हैं उनके अभिभावकों से मिलकर इसका कारण जानने और उन्हें विद्यालय लाने का प्रयास किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय के पोषक क्षेत्र में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले (निःशक्त) बच्चों की पहचान हो चुकी है ?
- क्या हमारे विद्यालय में चिन्हित निःशक्त बच्चों की सहभागिता होती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में सभी सामाजिक समूहों के बच्चों के साथ समता एवं समानता का व्यवहार होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में बच्चों की वेश–भूषा में एकरूपता रहती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था है ?
- क्या हमारे विद्यालय के सभी वर्गकक्षों में श्यामपट्ट निर्माण/ रख–रखाव किया जाता है।
- क्या हमारे विद्यालय में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था है ?
- क्या हमारे विद्यालय में मध्याह्न भोजन स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यप्रद होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में प्रतिदिन नियमित साफ–सफाई की जाती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व, महापुरूषों की जयंती तथा महत्त्वपूर्ण दिवसों का आयोजन किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में खेल–कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन धूम–धाम से होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में अच्छी क्षमता तथा प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय के बच्चों की सक्रिय भागीदारी बाल–मेला, माँ–बेटी मेला में होती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में रोचक एवं आनन्ददायी तौर–तरीके से पढ़ाई होती है ?
- क्या हमारे विद्यालय के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में टी0एल0एम0 कोना है ?

- क्या हमारे विद्यालय में सुन्दर आनन्ददायी कक्ष का निर्माण किया गया है ?
- क्या हमारे विद्यालय का नियमित रंग–रोगन होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय का नाम विद्यालय भवन पर बड़े–बड़े अक्षरों में लिखा है ?
- क्या हमारे विद्यालय में सद्‌वाक्य एवं सूक्तियाँ लिखी गई हैं ?
- क्या हमारे विद्यालय में समिति की नियमित मासिक बैठकें/त्रैमासिक आमसभाएँ होती हैं ?
- क्या हमारे विद्यालय में समिति की बैठक/आमसभा संबंधी कार्यवाही–पंजी का संधारण होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में ससमय नियमित मध्याह्न भोजन का उठाव/वितरण किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में व्यय अभिश्रव संचिका/ भंडार पंजी/ नामांकन पंजी/ पुस्तक वितरण पंजी आदि का संधारण किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष बालपंजी का अद्यतन संधारण किया जाता है ?
- क्या हमारी विद्यालय शिक्षा समिति की बैठकों में महिलाओं एवं अभिवंचित वर्ग के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में शिक्षा समिति विद्यालय कार्ययोजना का निर्माण एवं उसे लागू करने का पहल करती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में निःशुल्क पुस्तक वितरण में विद्यालय शिक्षा समिति/ समुदाय का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में निःशुल्क वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में हड़ताल, शिक्षकों की अनुपस्थिति एवं बन्दी के दिनों में भी समुदाय के द्वारा पठन–पाठन का कार्य किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में जागरूक बनाया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में एक आदर्श पुस्तकालय है ?
- क्या हमारे विद्यालय में समुदाय के शिक्षित लोगों द्वारा नियमित निःशुल्क शिक्षा दान का कार्य किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय के सौन्दर्यीकरण में समुदाय के लोग बढ़–चढ़ कर भाग लेते हैं ?

मासिक बैठक हेतु विचारणीय बिन्दु

- प्रति माह कुल कार्य दिवस।
- बच्चों के नामांकन की अद्यतन स्थिति ।
- अनामांकित बच्चों की सूची
- बच्चों की प्रतिशत उपस्थिति
- शिक्षकों की प्रतिशत उपस्थिति
- कितने दिन शिक्षक पठन–पाठन कार्य में रहे ।
- कितने दिन शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में रहे ।
- पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाये गये पाठों की संख्या ।
- शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गकक्ष में उपयोग एवं नवाचारी प्रयोग ।
- प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक माह में कितने दिन विभागीय कार्य से विद्यालय से बाहर रहे ।
- पोषाहार एवं छात्रवृत्ति की स्थिति ।
- विद्यालय विकास अनुदान राशि का उपयोग ।
- विद्यालय मरम्मती एवं रख–रखाव अनुदान राशि का उपयोग ।
- विद्यालय के भौतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग ।
- शिक्षक अभिभावक गोष्ठी सुनिश्चित करना ।
- विद्यालय विकास कोष को बढ़ाने के लिए समुदाय की भागीदारी हेतु गतिविधियाँ तय करना।
- हर शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन तथा प्रतिदिन प्रार्थना के तुरन्त बाद कम से कम किसी एक छात्र एवं एक छात्रा को किसी विषय पर बोलने का अवसर देना सुनिश्चित करना।
- विद्यालय को गोद लेने (School adoption) के लिए गाँव के किसी सुविधा सम्पन्न व्यक्ति या किसी बड़े पदाधिकारी / व्यवसायी आदि को किसी विषय पर कुछ बोलने का अवसर देना सुनिश्चित करना।

वार्षिक कैलेन्डर

सभी विद्यालय शिक्षा समिति/ प्रबंधन समिति निम्न वार्षिक कैलेन्डर के अनुसार कार्यों को सम्पादित करें तथा कार्यवाही पुस्तिका में उनका उल्लेख अवश्य करें ।

जनवरी	• नामांकन अभियान • पुस्तक संग्रह अभियान (परीक्षाफल प्रकाशित होने के तुरन्त बाद से)
फरवरी	• नामांकन अभियान
मार्च	• आमसभा का आयोजन • नामांकित बच्चों के ठहराव का अनुश्रवण • त्रैमासिक शिक्षा योजना पारित करना
अप्रैल	• माताओं की बैठक • अभिभावकों की बैठक • श्रमदान
मई	• मूल्यांकन का अनुश्रवण • आमसभा की बैठक • श्रमदान
जून	• आमसभा की बैठक एवं त्रैमासिक योजना पारित करना। • पर्यावरण दिवस का आयोजन
जुलाई	• बागबानी, वृक्षारोपण, घेराबन्दी एवं श्रमदान
अगस्त	• स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं ग्रामीण खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन
सितम्बर	• शिक्षक दिवस • साक्षरता दिवस • आम सभा का आयोजन एवं त्रैमासिक योजना पारित करना।
अक्टूबर	• गाँधी जयन्ती • रंगाई–पुताई (स्नोसेम से) • (जिला स्तर पर विद्यालयों, सी.आर.सी., बी.आर.सी., के लिए रंगों का चयन किया जाय।) • बालपंजी का संधारण
नवम्बर	• बाल दिवस • बाल मेला • विद्यालय विकास कोष में अंशदान हेतु गतिविधियाँ • बालपंजी का संधारण
दिसम्बर	• वार्षिक मूल्यांकन • आमसभा का आयोजन • नामांकन अभियान हेतु वातावरण–निर्माण, लक्ष्य–निर्धारण

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जिलाः– ....

(सर्व शिक्षा अभियान)

एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रपत्र

जिला : प्रखण्डः पंचायतः

विद्यालय का नाम : संकुल संसाधन केन्द्रः

उन्मुखीकरण स्थलः उन्मुखीकरण तिथि :

क्रम	विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य/प्रतिभागी का नाम	पदनाम	कोटि	हस्ताक्षर

विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय विकास हेतु किए गए कार्य :

1.

2.

3.

4.

5.

विद्यालय शिक्षा समिति की आगामी रणनीति :

1.

2.

3.

4.

5.

प्रशिक्षक के विचार/विशेष अनुभव :

प्रशिक्षक का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... प्रशिक्षक के द्वारा हमारे विद्यालय प्राथमिक/मध्य/बुनियादी .... में दिनांक .... को विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का एक–दिवसीय उन्मुखीकरण कार्य सम्पन्न किया गया ।

यह कार्य प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में सहायक सिद्ध होगा ।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर   सचिव का हस्ताक्षर   प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अर्द्धवार्षिक प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण मार्गदर्शिका–सह–मॉड्यूल

भूमिका : मॉड्यूल की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को समाज का हर तबका जाने, सोचे और समझे– यह परियोजना का हर संभव प्रयास रहा है। परिषद की प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट सोच रही है कि समुदाय की भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा होता है। अपने अनुभवों से हमने यह सीखा है कि लोक भागीदारी को लोक सशक्तीकरण की प्रक्रिया के रूप में समझना होगा ताकि समुदाय की अगुआई में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यही कारण है कि प्रारंभ से ही समाज के प्रत्येक वर्ग में परिषद् द्वारा चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों के प्रति विश्लेषणात्मक समझ विकसित करने एवं समुदाय को प्रारम्भिक शिक्षा के प्रबंधन हेतु निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करने हेतु हम सतत प्रयत्नशील हैं ।

प्रारम्भिक शिक्षा को संविधान के द्वारा सरकार का वैधानिक दायित्व बना दिया गया है। इस उद्देश्य की संप्राप्ति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान, विद्यालय शिक्षा समिति, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रखंड स्तर पर भिन्न–भिन्न इकाइयों में बंटे तंत्र को समान इच्छाओं (Common Aspirations) की प्रतिपूर्ति हेतु एक साथ इकट्ठा होने, कार्यक्रमों से जुड़ने, उनके संचालन–परिचालन को सीखने–सिखाने हेतु एक ही मंच पर लाया जाय। इस दिशा में पहल करते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रखंड स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति/प्रबंध समिति/पंचायती राज संस्थान/स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों की अर्द्धवार्षिक बैठक के आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है ताकि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनसमुदाय/जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

वर्त्तमान समय में जब प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप पूर्णतया जनोन्मुखी हो चुका है ऐसे में यह महसूस होता है कि समाज के विभिन्न अंग स्वतःस्फूर्त रूप से आगे बढ़ कर शैक्षिक विस्तार का कार्य अपने हाथ में लेकर उसे नेतृत्व प्रदान करें। ऐसी परिस्थिति में हम सबों को प्रखंड के शैक्षिक परिदृश्य पर चर्चा–परिचर्चा एवं अपनी–अपनी भूमिकाओं की पहचान करनी होगी । प्रखंड स्तरीय सामुदायिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम इसी सोच का प्रतिफल है। हमारी कोशिश है कि समुदाय की आकांक्षाओं/इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने वाले प्रतिनिधि समूह सशक्त एवं संवेदनशील हो ताकि प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके।

<u>उद्देश्य</u>

- प्रारंभिक शिक्षा के प्रति जनसमुदाय को सक्रिय, संवेदनशील एवं सशक्त बनाना।
- विद्यालय शिक्षा समिति, पंचायती राज संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाओं को शिक्षा संबंधी दायित्व, कर्तव्य एवं अधिकार से अवगत कराना।
- विद्यालय, विद्यालय शिक्षा समिति एवं पंचायती राज संस्थान के अंतर्संबंधों के प्रति समझ विकसित करना।
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों एवं उनके कार्यान्वयन की रणनीतियों से अवगत कराना।
- समेकित रूप में समुदाय के बीच प्रारंभिक शिक्षा के प्रति सामूहिक समझ विकसित करना।

<u>उन्मुखीकरण की प्रकृति</u>

- एक दिवसीय
- गैर आवासीय

<u>इकाई :</u> प्रखंड

प्रतिभागी

1. विद्यालय शिक्षा समिति/प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सचिव
2. मुखिया
3. पंचायत समिति सदस्य (प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख सहित)
4. संबंधित प्रखंड के जिला परिषद् सदस्य
5. नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र के जन प्रतिनिधि/मेयर/उप मेयर
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी
7. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
8. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
9. प्रखंड स्थित सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के एक–एक प्रतिनिधि
10. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक

साधनसेवी

- जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला कार्यक्रम समन्वयक
- सभी संभाग प्रभारी

उन्मुखीकरण स्थल

- प्रखंड मुख्यालय/प्रखंड संसाधन केन्द्र/विद्यालय परिसर/स्टेडियम

उन्मुखीकरण अवधि

- एक दिन (10.30 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक)

उन्मुखीकरण सामग्री

- सर्व शिक्षा अभियान – संक्षिप्त परिचय
- विभिन्न गतिविधियों की प्रखंडवार अद्यतन तुलनात्मक विवरणी तथा प्रखंड स्थित विद्यालयों में नामांकन/ ठहराव की स्थिति
- वार्षिक शैक्षिक गतिविधियों का कैलेन्डर
- फोल्डर
- ''क्या हमारे विद्यालय में ऐसा होता है ....?''

पूर्व तैयारी

- जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा प्रखंडवार कार्यक्रम स्थल एवं तिथि निर्धारण के उपरान्त जिला पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रतिभागियों को पत्र प्रेषण ।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों की प्रखंडवार तुलनात्मक विवरणी तैयार करना।
- नामांकित एवं अनामांकित बच्चों तथा बालिका शिक्षा की अद्यतन स्थिति तैयार करना।
- वार्षिक शैक्षिक पंचांग/कैलेन्डर

उन्मुखीकरण/कार्यशाला संचालन योजना

- पंजीयन — 10.30–10.45 पूर्वाह्न
- अभियान गीत — 10.45–10.50 पूर्वाह्न
- सम्बोधन/कार्यशाला संबंधी जानकारी — 10.50–11.00 पूर्वाह्न
- परिचय — 11.00–11.15 पूर्वाह्न
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्–संक्षिप्त परिचय — 11.15–11.20 पूर्वाह्न
- सर्व शिक्षा अभियान – एक परिचय — 11.20–11.30 पूर्वाह्न
- प्रारम्भिक शिक्षा हेतु पंचायती राज संस्थान एवं विद्यालय शिक्षा समिति के बीच अंर्तसंबंध — 11.30–12.00 पूर्वाह्न
- शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि की सम्प्राप्ति पर चर्चा — 12.00–12.45 अपराह्न
- बालिका शिक्षा पर चर्चा — 12.45–1.00 अपराह्न
- अभिवंचित वर्ग की शिक्षा पर चर्चा — 1.00–1.15 अपराह्न
- विशेष आवश्यकता वाले (निःशक्त) बच्चों की शिक्षा — 1.15–1.30 अपराह्न
- अवकाश — 1.30–2.00 अपराह्न
- अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रखंडवार तुलनात्मक विवरणी पर चर्चा — 2.00–4.00 अपराह्न

वित्तीय प्रबंधन

प्रति प्रतिभागी रु0 30/-

- अल्पाहार रु0 15/-
- मुद्रित सामग्री रु0 5/-
- विविध रु0 10/-

(लाउडस्पीकर, बैटरी,, कुर्सी, टेबुल, दरी, जाजिम, ग्लास, बाल्टी, जग, ड्रम, फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक सामग्री/व्यय)

कुल– रु0 30/-

विद्यालय शिक्षा समिति/प्रबंध समिति

एक दिवसीय उन्मुखीकरण
मार्गदर्शिका–सह–मॉड्यूल

अभियान

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना–800023

संवाद

अर्द्धवार्षिक प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण

मार्गदर्शिका–सह–मॉड्यूल

विद्यालय शिक्षा समिति/प्रबंध समिति/पंचायती राज संस्थान/स्वयंसेवी संस्था

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना–800023

विद्यालय शिक्षा समिति/प्रबंध समिति के सदस्यों का
एक दिवसीय उन्मुखीकरण मार्गदर्शिका–सह–मॉड्यूल

भूमिका : मॉड्यूल की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता

बिहार शिक्षा परियोजना का मूल उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में बदलाव लाना है, ताकि शिक्षा से वंचित समाज का वर्ग शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके।

विगत वर्षों में परियोजना के प्रयास के फलस्वरूप स्थानीय समुदाय के द्वारा ग्राम शिक्षा समिति की शक्ल में गोलबंद होकर विद्यालय प्रबंधन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई है । ग्राम शिक्षा समितियों के सकारात्मक प्रयासों का प्रतिफल ''बिहार राज्य विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2000'' के रूप में हमारे सामने आया। आज बिहार के सभी प्राथमिक/ प्रारम्भिक एवं बुनियादी विद्यालयों के लिए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन किया जा चुका है।

अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार समिति की मासिक बैठक एवं पंचायती राज संस्थान के साथ सकारात्मक संबंध हेतु विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय, सशक्त एवं संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। डी.पी.ई.पी. एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा समितियों की विद्यालय विकास में वृहत्तर भूमिका एवं उसके निर्वहन हेतु विभिन्न तरह के खातों का संचालन, निधि हस्तांतरण एवं व्ययन के मद्देनजर समिति के सदस्यों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि विद्यालय शिक्षा समिति, जो एक वैधानिक संस्था है, का अंकेक्षण भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके।

फलतः संबंधित कारणों को ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति/ प्रबंध समिति के सदस्यों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण मार्गदर्शिका–सह–मॉड्यूल के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई जिससे विद्यालय शिक्षा समिति/ प्रबंध समिति के सदस्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक समझ विकसित हो तथा इसके लिए वे अपने स्तर से पहल कर सकें ।

उद्देश्य

- विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय, संवेदनशील एवं सशक्त बनाना।
- समिति के सदस्यों में सामूहिक सहभागिता की भावना विकसित करना।
- शैक्षिक एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु समिति की क्षमता विकसित करना।
- प्रारंभिक शिक्षा में दाता–पाता के संबंधों की जगह लोक भागीदारी की स्थापना करना।

- विद्यालय शिक्षा समिति के कार्य–कलापों में अभिवंचित वर्ग एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं साझेदारी सुनिश्चित करना।
- विद्यालय शिक्षा समिति को विद्यालय शैक्षिक कार्ययोजना के सूत्रण, कार्यान्वयन एवं स्वमूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करना।
- विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक प्रबंधन के प्रति समुदाय में जागरूकता एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।

उन्मुखीकरण की प्रकृति

- एक दिवसीय
- गैर आवासीय

इकाई : विद्यालय शिक्षा समिति/ प्रबंध समिति।

प्रतिभागी

1. विद्यालय शिक्षा समिति के सभी सदस्य
2. विशेष आमंत्रित सदस्य (पोषक क्षेत्र के)
   - आंगनबाड़ी सेविका
   - अपना/अंगना विद्यालय की माता समिति की अध्यक्षा/सचिव
   - लोक शिक्षण केन्द्र की अनुदेशिका (दीदी)
   - स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि
   - सभी वार्ड सदस्य
   - अन्य शिक्षा प्रेमी

उन्मुखीकरण–स्थल

- विद्यालय परिसर/ पंचायत भवन/ सामुदायिक भवन

उन्मुखीकरण अवधिः

- एक दिन (10.30 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक)

उन्मुखीकरण सामग्री

10. विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2000।
11. पंचायती राज संस्थानों के शैक्षिक कार्य, दायित्व एवं अधिकार।
12. विद्यालय विकास, मरम्मती एवं रख–रखाव, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान की मार्गदर्शिका एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र।
13. अभियान गीत।
14. अपील।
15. वार्षिक कैलेन्डर।
16. '' क्या हमारे विद्यालय में ऐसा होता है .....?''
17. मासिक बैठक हेतु विचारणीय बिन्दु।
18. एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रपत्र।

पूर्व तैयारी

- संकुलवार प्रशिक्षकों का चयन
- प्रशिक्षकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण
- प्रखंडवार, संकुलवार एवं विद्यालयवार उन्मुखीकरण हेतु तिथि का निर्धारण
- जिला स्तरीय कार्यालय से संबंधित प्रखंड संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्रों को उन्मुखीकरण संबंधी पत्र प्रेषण
- वार्षिक कैलेन्डर , क्या हमारे विद्यालय में ऐसा होता है ...? , मासिक बैठक हेतु विचारणीय बिन्दु एवं एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रपत्र की मुद्रित प्रतियाँ / छायाप्रतियाँ / चक्रचालित प्रतियाँ

उन्मुखीकरण संचालन योजना

15. पंजीयन	10.30–10.45 पूर्वाह्न
16. अभियान गीत	10.45–10.50 पूर्वाह्न
17. संबोधन / प्रशिक्षण की जानकारी	10.50–11.00 पूर्वाह्न
18. आपसी परिचय	11.00–11.15 पूर्वाह्न
19. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् – एक परिचय	11.15–11.20 पूर्वाह्न

20. विद्यालय से संबंधित वर्तमान भौतिक एवं
शैक्षणिक परिदृश्य / स्थिति पर परिचर्चा 11.20–11.50 पूर्वाह्न

21. सर्व शिक्षा अभियान – परिचय 11.50–12.00 पूर्वाह्न

22. नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि पर चर्चा 12.00–12.30 अपराह्न

23. छात्र एवं शिक्षक की नियमित उपस्थिति पर चर्चा 12.30–12.40 अपराह्न

24. विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा – 12.40–2.40 अपराह्न

- बालिका शिक्षा / अभिवंचित समूह के बच्चों की शिक्षा
- विशेष आवश्यकता वाले (निःशक्त) बच्चों की शिक्षा
- बालपंजी संधारण
- गृहवार सर्वेक्षण
- शिक्षा गारंटी योजना
- पंचायत शिक्षा मित्र
- बालवर्ग
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण
- निःशुल्क वार्षिक मूल्यांकन
- विभिन्न प्रकार के अनुदान का सदुपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
  - – विद्यालय विकास अनुदान
  - – विद्यालय रख–रखाव अनुदान
  - – शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान
  - – शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान
- अंकेक्षण
- मध्याह्न भोजन
- असैनिक कार्य

25. विद्यालय शिक्षा समिति की मासिक बैठक / त्रैमासिक
आमसभा 2.40–3.00 अपराह्न

26. विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का संधारण 3.00–3.30 अपराह्न

- सूचना पंजी
- कार्यवाही पंजी का संधारण
- भंडार पंजी (Stock Register)
- रोकड़ बही/पंजी (Cash Book)
- व्यय अभिश्रव (Voucher) की गार्ड फाईल
- अंकेक्षण पंजी/अंकेक्षण आपत्ति निदान पंजी
- मध्याह्न भोजन उठाव/ वितरण पंजी
- असैनिक कार्य संबंधी पंजी
- पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण पुस्तिका
- विद्यालय पुस्तकालय पंजी
- गृहवार सर्वेक्षण के आंकड़ों का संधारण पंजी
- आगंतुक हस्ताक्षर पंजी

27. विद्यालयीय शिक्षा योजना निर्माण :– 3.30–3.55 अपराह्न

- वित्तीय
- गैर वित्तीय

28. संकल्प एवं अभियान गीत 3.55–4.00 अपराह्न

वित्तीय प्रबंधन

- प्रशिक्षक का मानदेय (प्रति विद्यालय शिक्षा समिति) – रु0 100/–
- विविध (मुद्रित/छायाप्रति/चक्रचालित सामग्री, प्रखंड/ जिला स्तरीय फीड बैक–सह–चिंतन बैठक/दस्तावेजीकरण/ बैनर आदि समेकित रूप से जिला स्तर/प्रखंड संसाधन केन्द्र स्तर पर व्यय करने हेतु) रु0 50/–

प्रशिक्षणोपरान्त

- प्रखंडवार एक दिवसीय उन्मुखीकरण समाप्ति के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रखंड मुख्यालय में सभी प्रशिक्षकों का फीड बैक–सह–चिंतन कार्यशाला का आयोजन ।
- प्रशिक्षकों द्वारा एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रपत्र का प्रखंडवार समेकन/ विश्लेषण एवं अनुभवों का आदान–प्रदान।
- विद्यालयवार हस्तक्षेप/ अनुसमर्थन का सूचीकरण।
- प्रखंडवार प्रपत्रों के आधार पर जिला स्तरीय समेकन एवं विश्लेषण।

सावधानियाँ

- उन्मुखीकरण कार्यक्रम विद्यालय कार्य दिवस में हो।
- उन्मुखीकरण कार्यक्रम से पठन–पाठन प्रभावित न हो।
- विद्यालय भवन/पंचायत भवन/सामुदायिक भवन आदि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में जहाँ सभी लोग सहजतापूर्वक आ सकें, ऐसी जगह पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हो।
- समुदाय/विशेषकर महिलाओं एवं अभिवंचित वर्ग के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग।
- तीव्र विचारों के प्रति आदर भाव हो न कि प्रतिरोध।
- सबको बोलने के लिए प्रोत्साहित करना एवं समान अवसर उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षक होते हुए भी स्वयं को प्रतिभागी समझें तथा प्रतिभागी के साथ श्रेणी/कतार में बैठें।
- आदेश एवं निर्देश शब्द का प्रयोग न किया जाये।
- पूर्व तैयारी में वर्णित प्रपत्रों की मुद्रित प्रति/छायाप्रति/चक्रचालित प्रति उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में सादे कागज पर प्रपत्र विकसित कर कार्यक्रम संपादित करना।

क्या हमारे विद्यालय में ऐसा होता है ....?

- क्या हमारे विद्यालय में पोषक क्षेत्र के 6–14 आयुवर्ग वाले सभी बच्चे पढ़ने आते हैं?
- क्या हमारे विद्यालय में जो बच्चे नहीं आ पाते हैं उनके अभिभावकों से मिलकर इसका कारण जानने और उन्हें विद्यालय लाने का प्रयास किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय के पोषक क्षेत्र में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले (निःशक्त) बच्चों की पहचान हो चुकी है ?
- क्या हमारे विद्यालय में चिन्हित निःशक्त बच्चों की सहभागिता होती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में सभी सामाजिक समूहों के बच्चों के साथ समता एवं समानता का व्यवहार होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में बच्चों की वेश–भूषा में एकरूपता रहती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था है ?
- क्या हमारे विद्यालय के सभी वर्गकक्षों में श्यामपट्ट निर्माण/ रख–रखाव किया जाता है।
- क्या हमारे विद्यालय में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था है ?
- क्या हमारे विद्यालय में मध्याह्न भोजन स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यप्रद होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में प्रतिदिन नियमित साफ–सफाई की जाती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व, महापुरूषों की जयंती तथा महत्त्वपूर्ण दिवसों का आयोजन किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में खेल–कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन धूम–धाम से होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में अच्छी क्षमता तथा प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय के बच्चों की सक्रिय भागीदारी बाल–मेला, माँ–बेटी मेला में होती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में रोचक एवं आनन्ददायी तौर–तरीके से पढ़ाई होती है ?
- क्या हमारे विद्यालय के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में टी0एल0एम0 कोना है ?

- क्या हमारे विद्यालय में सुन्दर आनन्ददायी कक्ष का निर्माण किया गया है ?
- क्या हमारे विद्यालय का नियमित रंग–रोगन होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय का नाम विद्यालय भवन पर बड़े–बड़े अक्षरों में लिखा है ?
- क्या हमारे विद्यालय में सद्वाक्य एवं सूक्तियाँ लिखी गई हैं ?
- क्या हमारे विद्यालय में समिति की नियमित मासिक बैठकें/त्रैमासिक आमसभाएँ होती हैं ?
- क्या हमारे विद्यालय में समिति की बैठक/आमसभा संबंधी कार्यवाही–पंजी का संधारण होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में ससमय नियमित मध्याह्न भोजन का उठाव/वितरण किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में व्यय अभिश्रव संचिका/ भंडार पंजी/ नामांकन पंजी/ पुस्तक वितरण पंजी आदि का संधारण किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष बालपंजी का अद्यतन संधारण किया जाता है ?
- क्या हमारी विद्यालय शिक्षा समिति की बैठकों में महिलाओं एवं अभिवंचित वर्ग के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में शिक्षा समिति विद्यालय कार्ययोजना का निर्माण एवं उसे लागू करने का पहल करती है ?
- क्या हमारे विद्यालय में निःशुल्क पुस्तक वितरण में विद्यालय शिक्षा समिति/ समुदाय का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में निःशुल्क वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में हड़ताल, शिक्षकों की अनुपस्थिति एवं बन्दी के दिनों में भी समुदाय के द्वारा पठन–पाठन का कार्य किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में जागरूक बनाया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय में एक आदर्श पुस्तकालय है ?
- क्या हमारे विद्यालय में समुदाय के शिक्षित लोगों द्वारा नियमित निःशुल्क शिक्षा दान का कार्य किया जाता है ?
- क्या हमारे विद्यालय के सौन्दर्यीकरण में समुदाय के लोग बढ़–चढ़ कर भाग लेते हैं ?

मासिक बैठक हेतु विचारणीय बिन्दु

- प्रति माह कुल कार्य दिवस।
- बच्चों के नामांकन की अद्यतन स्थिति ।
- अनामांकित बच्चों की सूची
- बच्चों की प्रतिशत उपस्थिति
- शिक्षकों की प्रतिशत उपस्थिति
- कितने दिन शिक्षक पठन–पाठन कार्य में रहे ।
- कितने दिन शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में रहे ।
- पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाये गये पाठों की संख्या ।
- शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गकक्ष में उपयोग एवं नवाचारी प्रयोग ।
- प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक माह में कितने दिन विभागीय कार्य से विद्यालय से बाहर रहे ।
- पोषाहार एवं छात्रवृत्ति की स्थिति ।
- विद्यालय विकास अनुदान राशि का उपयोग ।
- विद्यालय मरम्मती एवं रख–रखाव अनुदान राशि का उपयोग ।
- विद्यालय के भौतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग ।
- शिक्षक अभिभावक गोष्ठी सुनिश्चित करना ।
- विद्यालय विकास कोष को बढ़ाने के लिए समुदाय की भागीदारी हेतु गतिविधियाँ तय करना।
- हर शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन तथा प्रतिदिन प्रार्थना के तुरन्त बाद कम से कम किसी एक छात्र एवं एक छात्रा को किसी विषय पर बोलने का अवसर देना सुनिश्चित करना।
- विद्यालय को गोद लेने (School adoption) के लिए गाँव के किसी सुविधा सम्पन्न व्यक्ति या किसी बड़े पदाधिकारी/ व्यवसायी आदि को किसी विषय पर कुछ बोलने का अवसर देना सुनिश्चित करना।

वार्षिक कैलेन्डर

सभी विद्यालय शिक्षा समिति/ प्रबंधन समिति निम्न वार्षिक कैलेन्डर के अनुसार कार्यों को सम्पादित करें तथा कार्यवाही पुस्तिका में उनका उल्लेख अवश्य करें ।

जनवरी	• नामांकन अभियान • पुस्तक संग्रह अभियान (परीक्षाफल प्रकाशित होने के तुरन्त बाद से)
फरवरी	• नामांकन अभियान
मार्च	• आमसभा का आयोजन • नामांकित बच्चों के ठहराव का अनुश्रवण • त्रैमासिक शिक्षा योजना पारित करना
अप्रैल	• माताओं की बैठक • अभिभावकों की बैठक • श्रमदान
मई	• मूल्यांकन का अनुश्रवण • आमसभा की बैठक • श्रमदान
जून	• आमसभा की बैठक एवं त्रैमासिक योजना पारित करना। • पर्यावरण दिवस का आयोजन
जुलाई	• बागबानी, वृक्षारोपण, घेराबन्दी एवं श्रमदान
अगस्त	• स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं ग्रामीण खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन
सितम्बर	• शिक्षक दिवस • साक्षरता दिवस • आम सभा का आयोजन एवं त्रैमासिक योजना पारित करना।
अक्टूबर	• गाँधी जयन्ती • रंगाई–पुताई (स्नोसेम से) • (जिला स्तर पर विद्यालयों, सी.आर.सी., बी.आर.सी., के लिए रंगों का चयन किया जाय।) • बालपंजी का संधारण
नवम्बर	• बाल दिवस • बाल मेला • विद्यालय विकास कोष में अंशदान हेतु गतिविधियाँ • बालपंजी का संधारण
दिसम्बर	• वार्षिक मूल्यांकन • आमसभा का आयोजन • नामांकन अभियान हेतु वातावरण–निर्माण, लक्ष्य–निर्धारण

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जिलाः– ....

(सर्व शिक्षा अभियान)

एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रपत्र

जिला : प्रखण्डः पंचायतः

विद्यालय का नाम : संकुल संसाधन केन्द्रः

उन्मुखीकरण स्थलः उन्मुखीकरण तिथि :

क्रम	विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य/प्रतिभागी का नाम	पदनाम	कोटि	हस्ताक्षर

विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय विकास हेतु किए गए कार्य :

1.

2.

3.

4.

5.

विद्यालय शिक्षा समिति की आगामी रणनीति :

1.

2.

3.

4.

5.

प्रशिक्षक के विचार/विशेष अनुभव :

प्रशिक्षक का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... प्रशिक्षक के द्वारा हमारे विद्यालय प्राथमिक/मध्य/बुनियादी .... में दिनांक .... को विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का एक–दिवसीय उन्मुखीकरण कार्य सम्पन्न किया गया ।

यह कार्य प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में सहायक सिद्ध होगा ।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर सचिव का हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अर्द्धवार्षिक प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण
मार्गदर्शिका–सह–मॉड्यूल

भूमिका : मॉड्यूल की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को समाज का हर तबका जाने, सोचे और समझे– यह परियोजना का हर संभव प्रयास रहा है। परिषद की प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट सोच रही है कि समुदाय की भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा होता है। अपने अनुभवों से हमने यह सीखा है कि लोक भागीदारी को लोक सशक्तीकरण की प्रक्रिया के रूप में समझना होगा ताकि समुदाय की अगुआई में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यही कारण है कि प्रारंभ से ही समाज के प्रत्येक वर्ग में परिषद् द्वारा चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों के प्रति विश्लेषणात्मक समझ विकसित करने एवं समुदाय को प्रारम्भिक शिक्षा के प्रबंधन हेतु निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करने हेतु हम सतत प्रयत्नशील हैं ।

प्रारम्भिक शिक्षा को संविधान के द्वारा सरकार का वैधानिक दायित्व बना दिया गया है। इस उद्देश्य की संप्राप्ति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान, विद्यालय शिक्षा समिति, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रखंड स्तर पर भिन्न–भिन्न इकाइयों में बंटे तंत्र को समान इच्छाओं (Common Aspirations) की प्रतिपूर्ति हेतु एक साथ इकट्ठा होने, कार्यक्रमों से जुड़ने, उनके संचालन–परिचालन को सीखने–सिखाने हेतु एक ही मंच पर लाया जाय। इस दिशा में पहल करते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रखंड स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति/प्रबंध समिति/पंचायती राज संस्थान/स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों की अर्द्धवार्षिक बैठक के आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है ताकि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनसमुदाय/जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

वर्त्तमान समय में जब प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप पूर्णतया जनोन्मुखी हो चुका है ऐसे में यह महसूस होता है कि समाज के विभिन्न अंग स्वतःस्फूर्त रूप से आगे बढ़ कर शैक्षिक विस्तार का कार्य अपने हाथ में लेकर उसे नेतृत्व प्रदान करें। ऐसी परिस्थिति में हम सबों को प्रखंड के शैक्षिक परिदृश्य पर चर्चा–परिचर्चा एवं अपनी–अपनी भूमिकाओं की पहचान करनी होगी । प्रखंड स्तरीय सामुदायिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम इसी सोच का प्रतिफल है। हमारी कोशिश है कि समुदाय की आकांक्षाओं/इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने वाले प्रतिनिधि समूह सशक्त एवं संवेदनशील हो ताकि प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके।

<u>उद्देश्य</u>

- प्रारंभिक शिक्षा के प्रति जनसमुदाय को सक्रिय, संवेदनशील एवं सशक्त बनाना।
- विद्यालय शिक्षा समिति, पंचायती राज संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाओं को शिक्षा संबंधी दायित्व, कर्तव्य एवं अधिकार से अवगत कराना।
- विद्यालय, विद्यालय शिक्षा समिति एवं पंचायती राज संस्थान के अंतर्संबंधों के प्रति समझ विकसित करना।
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों एवं उनके कार्यान्वयन की रणनीतियों से अवगत कराना।
- समेकित रूप में समुदाय के बीच प्रारंभिक शिक्षा के प्रति सामूहिक समझ विकसित करना।

<u>उन्मुखीकरण की प्रकृति</u>

- एक दिवसीय
- गैर आवासीय

<u>इकाई :</u> प्रखंड

प्रतिभागी

1. विद्यालय शिक्षा समिति/प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सचिव
2. मुखिया
3. पंचायत समिति सदस्य (प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख सहित)
4. संबंधित प्रखंड के जिला परिषद् सदस्य
5. नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र के जन प्रतिनिधि/मेयर/उप मेयर
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी
7. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
8. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
9. प्रखंड स्थित सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के एक–एक प्रतिनिधि
10. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक

साधनसेवी

- जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला कार्यक्रम समन्वयक
- सभी संभाग प्रभारी

उन्मुखीकरण स्थल

- प्रखंड मुख्यालय/प्रखंड संसाधन केन्द्र/विद्यालय परिसर/स्टेडियम

उन्मुखीकरण अवधि

- एक दिन (10.30 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक)

उन्मुखीकरण सामग्री

- सर्व शिक्षा अभियान – संक्षिप्त परिचय
- विभिन्न गतिविधियों की प्रखंडवार अद्यतन तुलनात्मक विवरणी तथा प्रखंड स्थित विद्यालयों में नामांकन/ ठहराव की स्थिति
- वार्षिक शैक्षिक गतिविधियों का कैलेन्डर
- फोल्डर
- ''क्या हमारे विद्यालय में ऐसा होता है ....?''

पूर्व तैयारी

- जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा प्रखंडवार कार्यक्रम स्थल एवं तिथि निर्धारण के उपरान्त जिला पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रतिभागियों को पत्र प्रेषण ।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों की प्रखंडवार तुलनात्मक विवरणी तैयार करना।
- नामांकित एवं अनामांकित बच्चों तथा बालिका शिक्षा की अद्यतन स्थिति तैयार करना।
- वार्षिक शैक्षिक पंचांग/कैलेन्डर

उन्मुखीकरण/कार्यशाला संचालन योजना

- पंजीयन 10.30–10.45 पूर्वाह्न
- अभियान गीत 10.45–10.50 पूर्वाह्न
- सम्बोधन/कार्यशाला संबंधी जानकारी 10.50–11.00 पूर्वाह्न
- परिचय 11.00–11.15 पूर्वाह्न
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्–संक्षिप्त परिचय 11.15–11.20 पूर्वाह्न
- सर्व शिक्षा अभियान – एक परिचय 11.20–11.30 पूर्वाह्न
- प्रारम्भिक शिक्षा हेतु पंचायती राज संस्थान एवं विद्यालय शिक्षा समिति के बीच अंर्तसंबंध 11.30–12.00 पूर्वाह्न
- शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि की सम्प्राप्ति पर चर्चा 12.00–12.45 अपराह्न
- बालिका शिक्षा पर चर्चा 12.45–1.00 अपराह्न
- अभिवंचित वर्ग की शिक्षा पर चर्चा 1.00–1.15 अपराह्न
- विशेष आवश्यकता वाले (निःशक्त) बच्चों की शिक्षा 1.15–1.30 अपराह्न
- अवकाश 1.30–2.00 अपराह्न
- अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रखंडवार तुलनात्मक विवरणी पर चर्चा 2.00–4.00 अपराह्न

वित्तीय प्रबंधन

प्रति प्रतिभागी रु0 30/-

- अल्पाहार रु0 15/-
- मुद्रित सामग्री रु0 5/-
- विविध रु0 10/-

(लाउडस्पीकर, बैटरी,, कुर्सी, टेबुल, दरी, जाजिम, ग्लास, बाल्टी, जग, ड्रम, फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक सामग्री/व्यय)

कुल- रु0 30/-

विद्यालय शिक्षा समिति/प्रबंध समिति

एक दिवसीय उन्मुखीकरण
मार्गदर्शिका–सह–मॉड्यूल

अभियान

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना–800023

वैकल्पिक विद्यालय

(अपना / अंगना)

मार्गदर्शिका

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना–800023